न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0–01/2015–16

राज्य **बनाम** गोपाल कुमार वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12.10.2018	**आदेश** प्रस्तुत वाद थानाध्यक्ष मराँची थाना के डायरी सं0–411/सी0आर0 दिनांक–04.02.2015 मराँची थाना काण्ड सं0–92/14 दिनांक–22.11.2014 से दर्ज प्राथमिकी की छाया–प्रति एवं जप्ती–सूची प्राप्त हुआ। जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। प्रश्नगत पत्र के आलोक में दिनांक–10.04.2015 को उक्त वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस एवं स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचना का प्रकाशन किया गया। नोटिस से सूचित किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक–09.06.2015 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की कंडिका–6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) कर लिया जायेगा। दिनांक–09.06.2015 से 16.03.2018 तक लगातार 13(तेरह) तिथियों पर विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित है। पुनः दिनांक 16.03.2018 को विपक्षी (आरोपी) को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक–22.05.2018 को प्रतिवादी सं0 01 एवं 02 की ओर से वकालतनामा सहित हाजरी दिया गया। दिनांक–02.08.2018 से दिनांक–12.10.2018 तक लगातार 02(दो) तिथियों से विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित है। दिनांक–12.10.2018 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त घरेलू गैस प्रज्वलनशील है। इसे राजसात (Confiscate) कर लिया जाय। न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी (विपक्षी) एक बार उपस्थित होने के बाद से लगातार अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में आरोपी (विपक्षी) के पास कोई साक्ष्य नहीं है एवं न	

कुछ कहना है।

इस प्रकार "The Liquified Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order-2000" के उल्लघंन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में जप्त समाग्रियों को (**वाहन को छोड़कर**) राजसात (Confiscate) किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को आदेश दिया जाता है कि मराँची थाना काण्ड सं0–92/14 दिनांक–22.11.2014 में जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के गैस एवं अन्य समाग्रियों को बिक्री कराकर, बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर दें। चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में, संधारित रखें, उक्त चालान की एक छाया–प्रति को, स्व0 हस्ताक्षर कर, न्यायालय में अवश्य ही भेज देगें। सम्बन्धित गैस कम्पनी के सिलेण्डरों को कम्पनी को हस्तगत कर पावना रसीद प्राप्त करें। भविष्य में सक्षम न्यायालय से किन्हीं की दावेदारी की स्वीकृति मिलने पर जमा राशि को उन्हें तद्नुसार भुगतान कर दिया जायेगा। इसी के साथ वाद कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इसी के साथ वाद कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।